

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

GOVERNIE IN VIEW

मं. 33]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 15, 2001/**माघ 26, 1922**ैं

No. 33]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 15, 2001/MAGHA 26, 1922

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2001

सं. 5-4/2000(ए एंड एल).—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) अधिनियम, 1997 समय-समय पर यथासंशोधित, को धारा 10(1) और 36(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, एतदद्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) के अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों (स्टाफ) की नियुक्ति को अधिशासित करने वाले निम्नलिखित विनियम बनाता है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और स्टाफ नियुक्ति) विनियम 2001

(2001 का कमांक 2)

भाग — I — प्रारंभिक

- सक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :
- i) इस विनियम को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और स्टाफ नियुक्ति) विनियम 2001 कहा जाएगा ।
- (ii) यह विनियम, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- 2. परिभाषाएं :

इस विनियम में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो –

(i) " प्राधिकरण" का अर्थ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है ।

- (ii) " नियुक्ति प्राधिकारी " का अर्थ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा प्राधिकरण के सदस्य/ अधिकारी हैं जो उनकी अंप रो प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करते हैं।
- (iii) " चयन समिति" का अर्थ ऐसी समिति से है जिसका गठन, इस विनियम की अनुसूचियों के अनुसार, किसी भी ग्रेड में अधिकारियों / स्टाफ की नियुक्ति, पदोन्नित और स्थायीकरण पर विचार के लिए किया गया है।
- (iv) " ग्रेड " का अर्थ उस ग्रेड से है जो खंड 3 व 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
- (v) " पद" का अर्थ, किसी ग्रेड में किसी भी स्थायी या अस्थायी पद से है जो इस विनियम की अनुसूचियों में वर्णित हो ।
- (vi) किसी भी ग्रेड के संदर्भ में " नियमित सेवा" का अर्थ, विनियम के खंड 4 व 15 के अंतर्गत उस ग्रेड में की गई सेवा की अवधि है, और इसमें वह अवधि भी शामिल है जिसके दौरान अधिकारी, छुटटी पर जाने अथवा अन्यथा ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध न होने के सिवाय, उस ग्रेड में धारण करता ।

भाग - II - अधिकारी संवर्ग संबंधी विनियम

3. अधिकारी संवर्ग का गठन

- (i) अधिकारी संवर्ग में निम्नलिखित होंगे:
 - (क) कोई भी व्यक्ति जो इस संवर्ग के गठन से तत्काल पहले, नीचे सारणी 'क' में सूचीबद्ध किसी अधिकारी—पद पर, प्रतिनियुक्ति पर अथवा तदर्थ नियुक्ति आधार पर या संविदा नियुक्ति आधार पर काम कर रहा हो और प्राधिकरण द्वारा उसे प्राधिकरण (ट्राई) के अधिकारी संवर्ग में आमेलन का प्रस्ताव मिलने पर, वह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में रहते हुए, आमेलन का विकल्प चुनता है और उसे नियमित कर दिया जाता है,
 - (ख) अधिकारी संवर्ग के प्रारंभिक गठन के बाद खंड 5 के अंतर्गत किसी पद पर, नियुक्त कोई व्यक्ति ।
- (ii) उपरोक्त उप-खंड (i) के पैरा (क) के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति को, ऐसी नियुक्ति के बाद, प्राधिकरण में उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से, उस पर लागू उपयुक्त ग्रेड में, संवर्ग का एक सदस्य समझा जाएगा।
- (iii) इस विनियम की शुरूआत पर, अधिकारी संवर्ग में, निम्नलिखित पद होंगे ।

सारणी –क : अधि कारी संवर्ग

ग्रेड /पद	वेतनमान
सचिव	(1) समय समय पर लागू नियमों
प्रधान सलाहकार	द्वारा निर्धारित वेतनमानों के
सलाहकार	अनुसार ।
संयुक्त सलाहकार	(2) अन्य निबंधन और शर्ते
उप सलाहकार/ वरिष्ठ प्रधान	यथानिर्धारित ।
निजी सचिव	
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/	
प्रधान निजी सचिव	
तकनीकी अधिकारी	
अनुभाग अधिकारी / निजी	
सचिव/ सहायक लेखा	
अधिकारी / पुस्तकाघ्यक्ष	

^{*} प्राधिकरण, समय समय पर, अपने द्वारा आवश्यक समझे जाने पर, ग्रेडों की संख्या व पदों की संख्या का निर्घारण कर सकता है ।

(iv) उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) में नियुक्ति पर वेतन, सामान्यतया वेतनमान के न्यूनतम पर, निर्धारित किया जाएगा । किन्तु प्राधिकरण, उम्मीदवार की वरीयता, पहले से लिए जा रहे वेतन और उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए वेतन को वेतनमान में उच्च बिन्दु पर निर्धारित कर सकता है ।

भाग – III भर्ती की पद्धतियां

4. अधिकारी संवर्ग का प्रारंभिक गठन :

अधिकारी संवर्ग का गठन प्रारंभ में, भारतीय दूरसचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) में कार्य 'कर रहे उन अधिकारियों के आमेलन (खपाने) द्वारा किया जाएगा, जो प्रस्ताव मिलने के बाद 'द्राई' के लिए विकल्प देंगे और जिन्हें 'द्राई' में खपा लिया जाएगा। इस विनियम की अधिसूचना की तारीख से पहले 'द्राई' में अधिकारियों द्वारा की गई सेवा को, ट्राई के विवेकाधिकार पर, इस विनियम के प्रयोजनार्थ नियमित सेवा माना जाएगा।

5 भर्ती की पद्धति :

(i) अधिकारी संवर्ग के प्रारंभिक गठन के बाद, यदि खंड 3 के उप खंड (iii) में विनिर्दिष्ट ग्रेडों मे कोई रिक्ति होती है या किसी भी ग्रेड में कोई नया पद बनता है तो उसे निम्नलिखित ढंग से भरा जाएगा :

पद का नाम	भती का तरीका	अहेता/ अनुभ
अधिकारी		
सचिव	पदोन्नति द्वारा / प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती द्वारा	अनुसूची I के अनुसार
प्रधान सलाहकार	– यथोपरि	यथोपरि
सलाहकार	– यथोपरि–	– यथोपरि–
संयुक्त सलाहकार	– यथोपरि	यथोपरि
उप सलाहकार /		
वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	– यथोपरि—	यथोपरि—
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/		
प्रधान निजी सचिव	– यथोपरि–	– यथोपरि–
तकनीकी अधिकारी	– यथोपरि–	यथोपरि
अनुभाग अधिकारी/निजी सचि सहायक लेखाधिकारी/पुस्तक		यथोपरि

(ii) खंड 5 के उपखंड (i) के अंतर्गत प्रत्येक मामले में चयन, अनुसूची III में विनिर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर होगा ।

भाग - IV सीधी भर्ती

6. सीधी भर्ती :

विभिन्न पदों पर नियुक्ति, जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है, के लिए उम्मीदवार का चयन नीचे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा:

- (क) जो रिक्तियां भरी जानी हैं उन्हें कम से कम दो प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाएगा।
- (ख) विज्ञापन में वर्णित अन्तिम तारीख तक प्राप्त नहीं हुए आवेदन—पत्रों पर अथवा निर्धारित शर्तों को पूरा न करने वाले उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन—पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- (ग) शेष आवेदन—पत्रों में से, नियुक्ति प्राधिकारी उन उम्मीदवारों की एक संक्षिप्त सूची तैयार करेगा जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना है, परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी चाहे तो सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुला सकता है । प्राधिकरण अपने विवेकर पर, जिन मामलों में भी उपयुक्तया वांछनीय समझे, यह निर्धारित कर सकता है कि चयन प्रकिया के एक भाग की तरह, उम्मीदवारों की परीक्षा होनी चाहिए या नहीं ।
- (घ) उम्मीदवार/ उम्मीदवारों का अन्तिम चयन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उम्मीदवार के साक्षात्कार में प्रदर्शन और उसकी अर्हताओं / रोजगार अनुभव के मिले—जुले मूल्यांकन के आधार पर, किया जाएगा।
- (इ) नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेक पर, उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों का एक पैनल रख सकता है, जिन्हें संबंधित पद पर किसी भावी रिक्ति के लिए रोजगार का प्रस्ताव दिया जा सकता है। यदि ऐसा पैनल बनाया जाता है और उसका रख—रखाव किया जाता है तो वह पैनल अपने अनुमोदन के बारह महीने तक ही वैध रहेगा।

तथापि, यदि प्राधिकरण यह मानता है कि, कोई व्यक्ति 'दूाई' में किसी पद के उपयुक्त है तो वह, उपरोक्त प्रकिया को अपनाए बिना, उस व्यक्ति को सीधे उपयुक्त ग्रेड में नियुक्त कर सकता है।

7. अनुसूचित जाति/ अनु0 जन जाति /अन्य पि0 वर्ग व अन्य श्रेणियों के लिए पदों के आरक्षण से संबंधित आदेश जो फिलहाल लागू हैं, इन पदों पर भी लागू होंगे ।

8. अर्हताएं और आयु सीमा:

सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं और आयु सीमा अनुसूची – I में विनिर्दिष्टानुसार होंगी ।

स्वास्थ्य परीक्षा :

किसी भी उम्मीदवार को, जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा के पश्चात, अच्छे मानसिक अथवा शारीरिक स्वास्थ्य, अथवा किसी भी मानसिक अथवा शारीरिक कमी से मुक्त नहीं पाया जाएगा, जिससे संवा की डयूटी के निपटान में बाधा पड़ने की सभावना हो, पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा । किसी उम्मीदवार की शारीरिक जांच हो गई है, इसका यह अर्थ अथवा निहितार्थ नहीं होगा कि उस पर नियुक्त के लिए विचार किया ही जाएगा ।

भाग – V पदोन्नति द्वारा नियुक्ति

10. विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, निचले ग्रेडों में से की जाएगी, जैसा कि अनुसूची—I में विनिर्दिष्ट है ।

11.वरीयता :

- (i) संवर्ग के प्रारंभिक गठन के समय, किसी ग्रेड में नियुक्त संवर्ग सदस्यों की सापेक्ष वरीयता, विशिष्ट कारणों के आधार पर अन्यथा निर्धारित को छोड़, इस विनियम की शुरूआत की तारीख को विद्यमान सापेक्ष वरीयता द्वारा आधिशासित होगी।
- (ii) संवर्ग के प्रारंभिक गठन में, किसी भी ग्रेड में सम्मिलित सभी अधिकारी, उस ग्रेड में बाद में नियुक्त सभी अधिकारियों से वरिष्ठ होगें बशर्ते कि किसी ग्रेड में नियुक्त किसी अधिकारी को उस ग्रेडु में कोई विशेष वरीयता न दे दी गई हो ।
- (iii) उपरोक्त प्रावधानों द्वारा कवर न हुई किसी अधिकारी की वरीयता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

भाग – VI संविदा नियुक्ति

12. प्राधिकरण, अल्पावधिक आवश्यकता को पूरा करने के वास्ते, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो पर, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है, जिसके लिए उपयुक्त प्रविष्टि अर्हताएं / संविदा समय—सारणी / विनिबंधन और शर्ते विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

भाग - VII प्रतिनियुक्ति

13. जिन पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना है उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी इकाइयों और केन्द्र सरकार के ऐसे मंत्रालयों /विभागों में व्यापक रूप से परिचालित किया जाएगा जिनमें टाई की अपेक्षाओं के समान अर्हता और अनुभव रखने वाले लोग मिल सकते हों और जो प्रतिनियुक्ति पर प्राधिकरण में आ सकते हों ।

भाग - VIII स्टाफ संवर्ग संबंधी विनियम

14 स्टाफ संवर्ग का गठन

- (i) स्टाफ संवर्ग में निम्नलिखित होंगे:
- (क) कोई भी व्यक्ति जो इस संवर्ग के गठन से तत्काल एवले, नीचे सारणी 'ख' में सूचीबद्ध किसी स्टाफ—पद पर, प्रतिनियुक्ति पर अथवा तदर्थ नियुक्ति आधार पर या संविदा नियुक्ति आधार पर काम कर रहा हो और प्राधिकरण द्वारा उसे प्राधिकरण (ट्राई) के स्टाफ संवर्ग में आमेलन का प्रस्ताव मिलने पर, वह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में रहते हुए, आमेलन का विकल्प चुनता है और उसे नियमित कर दिया जाता है.
- (ख) स्टाफ संवर्ग के प्रारंभिक गठन के बाद खंड 16 के अंतर्गत किसी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति ।
- (ii) उपरोक्त उप—खंड (i) के पैरा (क) के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति को, ऐसी नियुक्ति के बाद, प्राधिकरण में उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से, उस पर लागू उपयुक्त ग्रेड में, संवर्ग का एक सदस्य समझा जाएगा।
- (iii) इस विनियम की शुरूआत पर, स्टाफ संवर्ग में, निम्नलिखित पद होंगे। सारणी 'ख' स्टाफ संवर्ग

ग्रेड /पद	वेतनमान
कनिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक	(1) समय समय पर लागू नियमों
/वैयक्तिक सहायक	द्वारा निर्धारित वेतनमानों के
आशुलिपिक	अनुसार ।
अवर श्रेणी लिपिक	(2) अन्य निबंधन और शर्ते
डाइवर	यथानिर्धारित ।
परिचर (अटेंडेंट)	

^{*} प्राधिकरण, समय समय पर अपने द्वारा आवश्यक समझे जाने पर ग्रेडों की संख्या व पदों की संख्या का निर्धारण कर सकता है।

(iv) उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) में नियुक्ति पर वेतन, सामान्यतया वेतनमान के न्यूनतम पर, निर्धारित किया जाएगा । किन्तु प्राधिकरण, उम्मीदवार की वरीयता, पहले से लिए जा रहे वेतन और उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए वेतन को वेतनमान में उच्च बिन्दु पर निर्धारित कर सकता है ।

भाग IX - भर्ती की पद्धतियां

15.स्टाफ संवर्ग का प्रारंभिक गठन

स्टाफ संवर्ग का गठन प्रारंभ में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) में कार्य कर रहे उस स्टाफ के आमेलन द्वारा किया जाएगा जो प्रस्ताव मिलने के बाद, (ट्राई) के लिए विकल्प देंगे और जिन्हें (ट्राई) में खपा लिया जाएगा । इस विनियम की अधिसूचना की तारीख से पहले, (ट्राई) में स्टाफ द्वारा की गई सेवा को, (ट्राई) के विवेकाधिकार पर, इस विनियम के प्रयोजनार्थ, नियमित सेवा माना जाएगा ।

16.भर्ती की पद्धति

(i) स्टाफ संवर्ग के प्रारंभिक गठन के बाद, यदि खंड 14 के उपखंड (iii) विनिर्दिष्ट ग्रेडों में कोई रिक्ति होती है या किसी भी ग्रेड में कोई नया पद बनता है तो उसे निम्नलिखित ढंग से भरा जाएगा:

पद का नाम	भर्ती का तरीका	अर्हता /अनुभव
कनिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक/ वैयक्तिक	पदोन्नति /सीधी भर्ती /प्रतिनियुक्ति	अनुसूची II के अनुसार
सहायक		
आशुलिपिक	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति	यथोपरि
अवर श्रेणी लिपिक	– यथोपरि—	–यथोपरि–
ड्राइवर	–यथोपरि–	–यथोपरि–
परिचर (अटेंडेंट)	यथोपरि	यथोपरि

कर्मचारियों के कैरियर बढ़ोत्तरी के हिंते को देखते हुए, प्राधिकरण समय समय पर, किसी भी ग्रेड में ऐसा अनुपात रख सकेगा जो निचले ग्रेड (ग्रेडों) से पदोन्नित द्वारा भरा जाएगा, यदि ऐसा अनुपात रखा गया हो परंतु उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने की वजह से पद या पदों को पदोन्नित द्वारा भरना संभव न हो, तो सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के माध्यम अपनाए जाएंगे।

(ii) खड 16 के उपखंड (i) के अतर्गत प्रत्येक मामले में चयन, अनुसूची]]] में विनिर्दिष्ट चयन सिमिति की सिफारिशों के आधार पर होगा ।

भाग - X सीधी भती

17 सीधी भर्ती :

विभिन्न पदों पर नियुक्ति, जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है, के लिए जम्मीदवार का चयन नीचे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा

- (क) जो रिक्तियां भरी जानी हैं उन्हें कम से कम दो प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाएगा।
- (ख) विज्ञापन में वर्णित अन्तिम तारीख तक प्राप्त नहीं हुए आवेदन- पत्रो पर अथवा निर्धारित शर्तों को पूरा न करने वाले उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ग) शेष आवेदन—पत्रों में से, नियुक्ति प्राधिकारी जन उम्मीदवारों की एक सक्षिप्त सूची तैयार करेगा जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना है, परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी चाहे तो सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुला सकता है।
- (घ) जम्मीदवार/ जम्मीदवारों का अन्तिम चयन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, जम्मीदवार के साक्षात्कार में प्रदर्शन और उसकी अहर्ताओं/ रोजगार अनुभव के मिले—जुले मूल्यांकन के आधार पर, किया जाएगा । प्राधिकरण अपने विवेक पर, जिन मामलों में भी उपयुक्त या वाछनीय समझे, यह निर्धारित कर सकता है कि चयन प्रकिया के एक भाग की तरह, जम्मीदवारों की परीक्षा होनी चाहिए या नहीं ।
- (ड.) नियुक्त प्राधिकारी, अपने विवेक पर, उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों का एक पैनल रख सकता है, जिन्हें संबंधित पद पर किसी भावी रिक्ति के लिए रोजगार का प्ररताव दिया जा सकता है। यदि ऐसा पैनल बनाया जाता है और उसका रख-रखाव किया जाना है तो वह पैनल अपने अनुमोदन के 12 महीने तक ही वैध रहेगा। तथापि, यदि प्राधिकरण यह मानता है कि, कोई व्यक्ति 'ट्राई' में किसी पद के उपयुक्त है तो वह, उपरोक्त प्रकिया को अपनाए बिना, उस व्यक्ति को सीधे उपयुक्त ग्रेड में नियुक्त कर सकता है।

बशर्ते कि, प्राधिकरण यदि उचित समझे तो वह उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन का काम इस तरह के कार्य करने वाली किसी एजेंसी को सौंप सकता है।

18. अनुसूचित जाति / अनु0 जन जाति /अन्य पि0 वर्ग व अन्य श्रेणियों के लिए पदों के आरक्षण से सबंधित आदेश जो फिलहाल लागू हैं, इन पदों पर भी लागू होंगे।

19, अर्हताएं और आयु सीमा:

सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं और आयु सीमा अन्सूची - 11 मे विनिर्दिष्टानुसार होगी ।

20. स्वास्थ्य परीक्षाः

किसी भी उम्मीदवार को, जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रवास्थ्य परीक्षा के पश्चात, अच्छे मानसिक अथवा शारीरिक स्वास्थ्य, अथवा किसी भी मानसिक अथवा शारीरिक कमी से मुक्त नहीं पाया जाएगा, जिससे सेवा की इपूटी के निपटान में बाधा पड़ने की संभावना हो, पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा । किसी उम्मीदवार की शारीरिक जांच हो गई है, इसका यह अर्थ अथवा निहितार्थ नहीं होगा कि उस पर नियुक्त के लिए विचार किया ही जाएगा ।

भाग - XI पदोन्नति द्वारा नियुक्ति

21. विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, निचले ग्रेडों में से की जाएगी, जैसा कि अनुसूची-II मे विनिर्दिष्ट है।

22.वरीयता :

- (iv) संवर्ग के प्रारंभिक गठन के समय, किसी ग्रेड में नियुक्त संवर्ग सदस्यों की सापेक्ष वरीयता, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी और सामान्यतया यह इस विनियम की शुरूआत की तारीख को विद्यमान सापेक्ष वरीयता द्वारा आधिशासित होगी।
- (v) संवर्ग के प्रारंभिक गठन में, किसी भी ग्रेड में सिम्मिलित सभी स्टाफ, उस ग्रेड में बाद में नियुक्त स्टाफ से विरष्ट होगें बशर्ते कि किसी ग्रेड में नियुक्त किसी अधिकारी को उस ग्रेड में कोई विशेष वरीयता न दे दी गई हो ।
- (vi) उपरोक्त प्रावधानों द्वारा कवर न हुई किसी स्टाफ की वरीयता, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

भाग - XII संविदा नियुक्ति

23. प्राधिकरण, अल्पावधिक आवश्यकता को पूरा करने के वास्ते, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो पर, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, स्टाफ की नियुक्ति कर सकता है, जिसके लिए उपगुक्त प्रविष्टि अर्हताए / संविदा समय-सारणी / विनिबंधन और शर्ते विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

भाग - XIII प्रतिनियुक्ति

24. जिन पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना है उन्हें सार्वजिनक क्षेत्र की ऐसी इकाइयों और केन्द्र सरकार के ऐसे मंत्रालयों /विभागों में व्यापक रूप से परिचालित किया जाएगा जिनमें 'ट्राई' की अपेक्षाओं के समान अर्हता और अनुभव रखने वाले लोग भिल सकते हों ओर जो प्रतिनियुक्ति पर प्राधिकरण में आ सकते हों ।

भाग - XIV विविध

25. परिवीक्षा : सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त जम्मीदवारों को कुछ अबधि की परिवीक्षा कराया जा सकता है । परिवीक्षा अविध निर्धारित कर दिए जाने पर, सीधी भर्ती से आए व्यक्ति को तभी स्थायी किया जाएगा जब उसने परिवीक्षा अविध पूरी कर ली हो और इस दौरान उसका कार्य व आचरण, प्राधिकरण ने संतोषजनक पाया हो । परिवीक्षा अविध के दौरान किसी कर्मचारी का काम व आचरण यदि संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो प्राधिकरण के विवेक पर, उसकी यह अविध बढाई जा सकेगी ताकि उस कर्मचारी को सुधार का अवसर मिल सके । यदि इस प्रकार, बढ़ाई गई परिवीक्षा अविध के समाप्त होने पर भी, कर्मचारी का काम व आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी ।

26.भारत अथवा बाहर सेवा करने का दायित्व :

संवर्ग में नियुक्त किसी भी अधिकारी को भारत में अथवा भारत से बाहर कहीं भी सेवा करनी होगी।

27. उन्नयन/ पदावनयन --

इस बात को देखते हुए कि ट्राई के छोटे से संवर्ग में पदोन्नित के अवसर सीमित हो सकते हैं, प्राधिकरण, किसी पद विशेष और जिम्मेदारी धारण करने वाले किसी अधिकारी/ स्टाफ सदस्य को अगला उच्च ग्रेड मंजूर करने पर विचार कर सकता है । इसी प्रकार किसी समय विशेष पर, सेवा की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए, उच्चतर ग्रेड के किसी अधिकारी को, उसके ठीक नीचे के ग्रेड के किसी पद की जिम्मेदारी निभाने का काम सौंपा जा सकता है ।

- 28. वेतन निर्धारण : किसी ग्रेड विशेष में किसी अधिकारी / स्टाफ सदस्य का वेतन, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।
- 29. राष्ट्रीयता : उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए अथवा ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी से होना चाहिए जैसा कि सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए ।
- 30. अधिवर्षिता : अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष पूरे होने पर होगी ।
- 31. अनर्हताएं : कोई भी व्यक्ति –

- (क) जिसने किसी व्यक्ति कं पति /पत्नी के जीवित रहते हुए उसके साथ विवाह किया है, अथवा
- (ख) जिसने पति /पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

प्राधिकरण के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु इस बात से संतुष्ट होने पर कि सा विवाह ऐसे व्यक्ति व विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू वैराक्तिक कानून के अंतर्गत अनुमत्य हैं और ऐसा व रने के अन्य कारण विद्यमान हैं, प्राधिकरण उस व्यक्ति को इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकता है।

32.छूट देने की शक्ति:

यदि किसी मामले में प्राधिकरण का भत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो प्राधिकरण, आदेश द्वारा और लिखित में कारण रिकार्ड करते हुए, किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, इस विनियम के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकता है।

33.निर्वचन:

इन विनियमों के कार्यान्वयन के बारे में यदि कोई शंका होती है तो उसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्णय किया जाएगा ।

34.किंटनाइयों का निवारण :

इस विनियम के किसी भी प्रावधान को लागू करने में किठनाइयों के निवारण के लिए आवश्यक, सामान्य या विशिष्ट निदेश, प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी किए जा सकते हैं ।

भर्ती सीघी भर्ती के लिए अईता (योग्यता) व पदोन्नित के लिए सेवा-अवधि प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता (योग्यता) व अनुभव सीधी भर्ती के का तरीका लिए आयु सीमा नाम अनुभव किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इसके ठीक नीचे के ग्रेड में कम पदोन्नति/ केन्द्र /राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी जो 55 वर्ष सचिव प्रतिनियुक्ति उपाधि (डिग्री) अथवा उसके समकक्ष । से कम एक वर्ष की नियमित नियमित आधार पर समान पद धारण करते हों । **(T)** / सीधी भर्ती दुरसचार, उद्योग, वित्त, लेखाकार्य, सेवा वाले टाई अधिकारियों में विधि प्रबंध या उपभोक्ता मामलों से से पदोन्नति । द्वारा सबिधत अनुभव सहित, 19 वर्ष का अनुभव 🕴 किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से केंद्र /राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी जो यथोपरि यथोपरि **55 वर्ष** प्रधान उपाधि (डिग्री) अथवा उसके समकक्ष। सलाहकार नियमित आधार पर समान पद धारण करते हों । **(I)** दुरसचार, उद्योग, वित्त, लेखाकार्य, (II)वरिष्ठ प्रशासन ग्रेड (एस ए जी) में 4 वर्ष की नियमित सेवा कर विधि: प्रबंध, या उपभोक्ता मामलों से चुके हों या सबधित अनुभव सहित, 18 वर्ष का समृह 'क' के अधिकारी जिन्होंने, समृह क मे कम से कम 4 वर्ष एस (III)अनुभव । ए जी की अवधि सहित 21 वर्ष की नियमित सेवा कर दी हो। यथोपरि किसी मान्यतापाप्त विश्वविद्यालय से ठीक नीचे के ग्रेड में 4 वर्ष की केन्द्र /राज्य सरकार /सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों के अधिकारी जो 50वर्ष सलाहकार नियमित सेवा वाले अधिकारियों उपाधि (डिग्री) अथवा उसके समकक्ष। (I) नियमित आधार पर समान पद धारण करते हो या दुरसचार, उद्योग, वित्त, लेखाकार्य, में से फ्दोन्नति (II) प्रवरण ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हो या विधि, प्रबंध या उपभोक्ता मामलो से समूह क के अधिकारी जिन्होंने, प्रवरण ग्रेड में कम से कम 4 वर्ष की (III)सबिधत अनुभव सहित, 17 वर्ष का अवधि सहित, समूह क में 17 वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो । अनुभव । किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से ठीक नीचे के ग्रेड में, या उसके यथोपरि केन्द्र /राज्य सरकार /सार्वजनिक क्षत्र ले उपक्रमी के अधिकारी जो सयुक्त 50 वर्ष उपाधि (डिग्री) अथवा उसके समकक्ष । समान ग्रेड में 4 वर्ष की सलाहकार (I) नियमित आधार पर समान पढ धारण करत हो या दूरसचार, उद्योग, वित्त, लेखाकार्य, नियमित सेवा वाले अधिकारियों कनिष्ठ प्रशासन ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हो। या (II)विधि, प्रबंध, या उपभोक्ता मामलों से में से पदोन्नति । $(\Pi\Pi)$ समृह क के अधिकारी, जिन्होंने कनिष्ट प्रशासन ग्रेड में कम से कम सबधित अनुभव सहित 14 वर्ष का 4 वर्ष की अवधि सहित समृह क मे 13 वर्ष की नियमित सेवा कर ली अनुभव ।

अधिकारी सवंगी

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

PAR J III-

तकनीका	पदोन्नति/	मान्यता प्राप्न विश्वविद्यालय/ संस्था	ठीक नीचे के ग्रेड में 3 वर्ष की	केन्द्र /राज्य सरकार /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी जो	30 वर्ष
अधियारी	सीधी भर्ती/	से उपाधि, तथा 3 वर्ष का अनुभव,	नियमित सेवा वाले अधिकारियों	(I) समान पद धारण करते हो या	
	प्रतिनियुक्ति	तथापि आवश्यकतानुसार और जिस पद	में से पदोन्ति । कप्यूटर का	(II) अनुभाग अधिकारी या उसके सनान पद पर 3 वर्ष की नियमित संवा	
	द्वारा	को भरा जाना है, उसे देखते हुए	कार्यसाधक ज्ञान आवश्यक ।	कर चुके हों ।	
		इलेक्ट्रानिकी और / या दूरसचार		कप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान आवश्यक ।	
ļ		इजीनियरी, वाणिज्य, अर्थ-शास्त्र,			
		लेखा कार्य, विधि, या प्रबंधन आदि मे			
		विशिष्ट उपाधि रखी जा सकती है ।			
अनुभाग	पदोन्नति /	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /सस्था से	ठील नीचे ने ग्रेड में 6 वर्ष की	केन्द्र / राज्य सरकार /सार्वजनिक क्षेत्रके उपकर्मों के अधिकारी जो	30 वर्ष
अधिकारी,'	सीधी भर्ती	उपाधि । 2 वर्ष का सबधित अनुभव ।	नियमित सेवा वाले अधिकारियाँ	[[(I) समान पद धारण करत हो या	
सहायक	/प्रतिनियुक्ति	पुस्तकाध्यक्ष के लिए पुस्तकालय विज्ञान	मे से पदोन्नति । कप्यूटर का	(II) ठीळ नीचे के ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हो ।	
लेखा	द्वारा	की उपाधि व दो वर्ष का सबधित अनुभव	कार्यसाधक ज्ञान आवश्यक ।	कप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान आवश्यक ।	
अधिकारी/				,	
पुस्तकाध्यक्ष					
निजी सचिव	यथोपरि	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि,	यथोपरि	– यथोपरि–	30 वर्ष
	ļ	व पाच वर्ष का सचिवीय अनुभव।			
		कप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य।			

नोट: नेटवर्क जैसे नियत (फिक्स्ड), मोबाइल और कनवर्जंड के कार्यों को सभालने वाले सलाहकारों के पदों के लिए इलेक्ट्रोनिकी और / या दूरसचार इजीनियरी में उपाधि अनिवार्य होगी 🗍

स्टाफ संवर्ग

पद का	भर्ती का तरीका	सीवी भर्ती के लिए अर्हता (योग्यता)	पदोन्नति के लिए	प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता (योग्यता) व अनुभव	सीधी भर्ती के लिए
नाम		व अनुभव	सेवा—अवधि		आयु साीमा
कनिष्ठ	पदोन्नति/सीधी	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से	अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड	केन्द्र /राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपकर्मों के कर्मचारी जो	28 वर्ष
लेखा	भर्ती/	उपाधि (डिग्री) अथवा उसके समकक्ष	में, 10 वर्ष की नियमित	(I) सामान पद धारण करते हों या	
अधिकारी/	प्रतिनियुक्ति		सेवा वाले कर्मचारियों में	(II) 4000-6000 रू0 के वेतनमान में जिन्होंने 6 वर्ष	
सहायक			से पदोन्नति । कंप्यूटर का	की नियमित सेवा कर ली हो या	
			कार्य साधक ज्ञान ।	। (III) जो 30504590 रूपये के वेतनमान में दस वर्ष की	
				सेवा कर चुके हो ।	
				कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान आवश्यक ।	
वैयक्तिक	– यथोपरि–	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड /सस्था	इसके ठीक नीचे के ग्रेड में	केन्द्र /राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के	28 वर्ष
सहायक		से 12वीं कक्षा पास ।	6 वर्ष की नियमित सेवा	कर्मचारी जो	
		(ii) आशुलिपि (अग्रेजी/	वाले कर्मचारियों में से	(I) समान पद धारण करते हो या	
		हिन्दी) में 120 शब्द प्रति	पदोन्नति । कंप्यूटर का	(II) ं ठीक नीचे के ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा कर	
		मिनट और टाइपिग मे 30	कार्यसाधक ज्ञान ।	चुके हों।	
•		शब्द प्रति मिनट की गति ।		•	
		कंप्यूटर का कार्य साघक		कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान आवश्यक ।	
		्र ज्ञान ।	ļ		
आशुलिपिक	सीधी भर्ती/	मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्था से मैट्कि	लागु नहीं	केन्द्र / राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के	27 वर्ष
	प्रतिनियक्ति	या समकक्ष परीक्षा पास और		कर्मचारी जो समान पद धारण करते हों या	
	Ü	II. आश्लिपि (अग्रेजी/ हिन्दी) मे			
		80 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग मे		(I) आशुलिपि (अग्रेजी/ हिन्दी) में 80 शब्द प्रति मिनट	
		30 शब्द प्रति मिनट की गति ।		और टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति रखने	
		कप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान ।		वाले अवर श्रेणी लिपिक ।	
		6	}	कप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान आवश्यक ।	
71 l				6	

अवर श्रेणी	सीधी भर्ती /प्रति	I. मान्यता प्राप्त बोर्ड /सस्था से	लागू नहीं	केन्द्र / राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के	27 वर्ष
[!] लिपिक	नियुक्ति द्वारा	मैट्कि या समकक्ष परीक्षा पास और		कर्मचारी जो	
1		II अग्रेजी/ हिन्दी टाइपिंग में 30		(I) अंग्रेजी/ हिन्दी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की	
		शब्द प्रति भिनट की गति । कप्यूटर		गति सहित समान पद धारण करते हो और	
		का कार्य साधक ज्ञान ।		कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान रखते हों ।	
ड्राइवर	पदोन्नति /सीधी	(i) आठवीं कक्षा पास	परिचर (अटंडेट) जो :	केन्द्र /राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मी के	40 वर्ष
	भर्ती/	(ii) मोटर गाड़ी चलाने का वैघ	(i) आठवी कक्षा	कर्मचारी जो समान पद धारण करते हों या परिचर/ समूह घ	1
	प्रतिनियुक्ति	ड्राइविग लाइसेंस हो	पास हो	के कर्मचारी जो –	
		(iii) गाड़ी की मशीन की	(ii) मोटर कार	(i) आठवी कक्षा पास हो	1
		जानकारी (छोटी मोटी	चलाने का वैध	(ii) मोटर कार चलाने ठा वैध झाइविंग लाइसेस रखते	
		खराबी दूर कर सकता हो)	ड्राइविग	हो	
		(iv) मोटर कार चलाने का 3	लाइसेस रखते	(iii) गाड़ी की मशीन की जानकारी (छोटी मोटी खराबी	J
		वर्ष का अनुभव	हो	दूर कर सकता हो)	
			(iii) गाडी की मशीन	(iv) मोटर कार चलाने का 3 वर्ष का अनुभव हो ।	
			की जानकारी		
			(छोटी मोटी		
			खराबी दूर कर		j
			सकता हो)		
	, ! j		(iv) मोटर कार		
			चलाने का 3 वर्ष		
			का अनुभव		1
	<u>~~</u>				
परिचर (परेंचेर)	-	आठवीं कक्षा पास, अप्रेजी पढ़ लिख	लागू नही	· ·	40 वर्ष
(एटेंडेट)	प्रतिनियुक्ति	सकता हो ।		कर्मचारी जो समान पद धारण करते हो ।	

अनुसूची — III

		ઝનુસૂલા — I	1.1
कम संख्या	पद का नाम	चयन समिति क। गठन	<u> </u>
1	सचिव	अध्यक्ष, टी आर ए आई (ट्राई)	अध्यक्ष
		सदस्यगण, टी आर ए आई	सदस्य
2	प्रधान सलाहकार/ सलाहकार	अध्यक्ष, टी आर ए आई	अध्यक्ष
		सदस्यगण, टी आर ए आई	सदस्य
3.	संयुक्त सलाहकार	सदस्य, टी आर ए आई	अध्यक्ष
		सिचन, टी आर ए आई	सदस्य
		संबंधित प्रभाग के सलाहकार	सदस्य
4.	उप सलाहकार एवं समकक्ष पद	सचिव	अध्यक्ष
		सलाहकार (ए एंड एल) सदस्य	
		संबंधित प्रभाग के सलाहकार	सदस्य
5.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी एवं समकक्ष	–यथोपरि–	
6.	तकनीकी अधिकारी	–यथोपरि–	
7.	अनुभाग अधिकारी एवं समकक्ष पद	सलाहकार (ए एंड एल)	अध्यक्ष
		संयुक्त/ उप सलाहकार (ए एंड एल)	सदस्य
		संयुक्त / उप सलाहकार (वित्त एवं लेखा)	सदस्य
8.	सहायक एवं समकक्ष पद	सलाहकार (ए एंड एल)	अध्यक्ष
		संयुक्त/ उप सलाहकार (ए एड एल)	सदस्य
		वरिष्ठ अनुसंघान अधिकारी (ए एंड एल)	सदस्य
9.	आशुलिपिक एवं अवर श्रेणी लिपिक	 संयुक्त/ उप सलाहकार (ए एंड एल)	अध्यक्ष
		वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (ए एंड एल)	सदस्य
		वरिष्ठ चनुरंधान अधिकारी (जी ए.)	सदस्य
10.	परिचर (अटेंडेट)	 अनुभाग अधिकारी (ए एंड एल)	अध्यक्ष
}		अनुभाग अधिकारी (जी.एI)	सदस्य
		अनुभाग अधिकारी (जी.एII)	सदस्य

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2001

No. 5-4/2000 (A&L).— In exercise of the powers conferred by the Sections 10(1) and 36(1) of the Telecom Regulatory Authority of India Act. 1997 as amended from time to time the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Regulation governing appointment of the officers and other employees of TRAI.

The Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001

(2 of 2001)

PART 1 - PRELIMINARY

Short title and commencement:

- (i) This Regulation shall be called the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001.
- (ii) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Definitions

In this Regulation, unless the context otherwise requires:

- (i) "Authority" means the Telecom Regulatory Authority of India.
- (ii) "Appointing Authority" means Chairperson of the Telecom Regulatory Authority of India or a Member of the Authority/Officer exercising delegated powers on his/her behalf.
- (iii) 'Selection Committee' means a committee constituted to consider selection for appointment, confirmation and promotion of officers/staff in any grade, in accordance with the Schedules to this Regulation;
- (iv) 'Grade' means a grade as specified in clauses 3 and 14.
- (v) 'Post' means any post in a grade whether permanent or temporary mentioned in Schedules of this Regulation;
- (vi) 'Regular Service' in relation to any grade means the period of service in that grade rendered in terms of clauses 4 and 15 of the Regulation and includes any period during which the officer/staff would have held the post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such post.

PART II – REGULATIONS RELATING TO OFFICERS' CADRE

3. Constitution of Officers' Cadre

- (i) The officers' cadre shall consist of:
- (a) any person who immediately before the constitution of this cadre was holding any post of an officer as listed in Table A below on deputation or on ad hoc appointment basis or on contract appointment basis and on offer for absorption in the officers' cadre of TRAI being made to him by the Authority exercise the option for absorption while in Telecom Regulatory Authority of India, and is regularized;
- (b) any person appointed to a post under clause 5 after initial formation of the Officers' cadre.
- (ii) Any person appointed under para (a) of sub-clause (i) above shall on such appointment be deemed to be a member of the cadre in the appropriate grade applicable to him/her from the date of his/her initial appointment with the Authority.
- (iii) On the commencement of this Regulation there shall be the following posts in the Officers' cadre:-

Table A. Officers' Cadre

Grade/post	Scale of Pay
Secretary	1) As per pay scales as
Principal Adviser	determined by rules
Advisor	applicable from time to time
Joint Advisor	7
Deputy Advisor/Senior Principal Private Secretary	2) Other terms and conditions as prescribed
Senior Research Officer/Principal Private Secretary	-
Technical Officer	1
Section Officer/Private Secretary/Assistant Accounts officer/Librarian	

The Authority may decide from time to time as regards the number of grades and strength of the posts, as it may deem necessary.

(iv) The pay, on appointment in TRAI under the provisions above, shall normally be fixed at the minimum of the scale. The Authority may, however, try it at a higher point in the scale keeping in view the seniority, pay already being drawn or suitability of the candidate.

PART III - METHODS OF RECRUITMENT

4. Initial constitution of the Officers' Cadre

The Officers' cadre shall be formed initially by absorption of the officers working in TRAI who on being offered opt for and are absorbed in TRAI's cadre. The service rendered by the officers in TRAI prior to the date of notification of this Regulation, will at the discretion of TRAI, be counted as regular service for the purpose of this Regulation.

5. Method of Recruitment

(i) After initial formation of the Officers' Cadre, if any vacancy arises in any of the grades specified in sub clause (iii) of clause 3 or if a new post or posts is/are created in any of the grade, the same shall be filled up in the following manner:-

Mode of recruitment	Qualification/Experience
Promotion Deputation/	As in Schedule I
rect Recruitment (DR)	
-do-	-do-
-do-	-do-
-do-	-do-
-do	-do-
cer/	
retary-do-	-do-
-do-	-do-
ate _	
counts	
-do-	-do-
	Promotion Deputation/ rect Recruitment (DR) -dodododo cer/ retary-dodo- ate ounts

(ii) Selection in each case under sub clause (i) of clause 5 shall be on the recommendations of the Selection Committee as specified in Schedule III.

PART IV - DIRECT RECRUITMENT

6. Direct recruitment:

Selection of candidate for appointment to various posts which are to be filled up by direct recruitment shall be made as per the procedure laid down below:

- a) The vacancies which are to be filled up shall be advertised at least in two leading national dailies.
- b) Applications which are not received by the last date mentioned in the advertisement or which are from candidates who do not satisfy the conditions laid down will not be entertained.
- c) From the remaining applications, the Appointing Authority will short-list the candidates who are to be called for an interview, provided that the Appointing Authority may choose to call all candidates for interview.
- d) Final selection of the candidate(s) will be made by the Appointing Authority on the basis of combined evaluation of the candidate's performance in the interview and his/her qualifications/job experience. The Authority may at its discretion, in cases where it considers it desirable, also stipulate whether examination of the candidates is a part of the selection process.
- e) The Appointing Authority, in its discretion, may maintain a panel of names of suitable candidates who may be offered employment against future vacancies in the concerned posts. Any such panel of names, if prepared and maintained, shall remain valid for a period not exceeding twelve months from the date of its approval.

Provided that if the Authority, without following the procedure mentioned above, is of the opinion that a person is suitable for a post under TRAI, the Authority shall be free to appoint that person directly in the appropriate grade.

7. Orders on reservation of posts for SC/ST/OBC and other categories which may be applicable currently will apply to these posts.

8. Qualifications and age limit:

Minimum qualifications and age limit for appointment to cadre by direct recruitment shall be as specified in the Schedule I.

9. Medical Examination:

No candidate who, after such medical examination as the Authority may prescribe, is not found to be in good mental or bodily health and free from any mental or physical defect likely to interfere with the discharge of the duties of the service shall be appointed to the Post. The fact that a candidate has been physically examined will not mean or imply that he/she shall be considered for appointment.

PART V - APPOINTMENT BY PROMOTION

10. Appointment by promotion to different grades will be made from the lower grades as specified in the Schedule I.

11. Seniority:

- (i) The relative seniority of members of the cadre appointed to any grade at the time of initial formation of the cadre shall be fixed by the Authority and unless decided otherwise on account of special reasons be governed by their relative seniority obtaining on the date of commencement of this Regulation.
- (ii) All officers included in the initial formation of the cadre in any grade shall rank senior to all officers appointed to that grade subsequently unless an officer is appointed to a grade giving him specially a certain seniority in that grade.
- (iii) The seniority of an officer not covered by the above provisions shall be determined by the Appointing Authority.

PART VI – CONTRACT APPOINTMENT

12. The Authority may appoint officers on contract for a specified period at terms specified by the Authority to meet short term requirement for which suitable entry qualifications/contract time frames/terms and conditions will be specified.

PART VII - DEPUTATION

13. The posts which are to be filled up by the method of Deputation would be widely circulated among such Ministries/Departments of the Central Government and Public Sector Undertakings which are expected to have people with the qualifications and experience matching the requirements of the TRAI and willing to join the Authority on deputation.

PART VIII- REGULATIONS RELATING TO THE STAFF CADRE

14. Constitution of Staff Cadre

- (i) The Staff Cadre shall consist of:-
- (a) any person who immediately before the constitution of this cadre was holding any post as staff as listed in Table B below on deputation or on ad hoc appointment basis or on contract appointment basis and on offer for absorption in the

staff cadre of TRAI being made to him by the Authority exercises the option for absorption while in Telecom Regulatory Authority of India, and is regularized;

(b) any person appointed to a post under clause 16 after initial formation of Staff cadre.

- (ii) Any person appointed under para (a) of sub-clause (i) above shall on such appointment be deemed to be a member of the cadre in the appropriate grade applicable to him/her from the date of his/her initial appointment with the Authority.
- (iii) On the commencement of this Regulation there shall be the following posts in the Staff cadre:-

Table B. Staff Cadre

Grade/post	Scale of Pay
Junior Accounts Officer/Assistant/Personal Assistant	As per pay scales as determined by rules applicable from time to
Stenographer	time. 2) Other terms and conditions as
Lower Division Clerk	prescribed.
Driver	
Attendant	

The Authority may decide from time to time as regards the number of grades and strength of the posts, as it may deem necessary.

(iv) The pay, on appointment in TRAI under the provisions above, shall normally be fixed at the minimum of the scale. The Authority may, however, fix it at a higher point in the scale keeping in view the seniority, pay already being drawn or suitability of the candidate.

PART IX - METHODS OF RECRUITMENT

15. Initial constitution of the Staff Cadre:

The Starl Cadre shall be constituted initially by the absorption of the staff working in TRAI who on being offered opt for and are absorbed in TRAI's cadre. The service rendered by the staff in TRAI prior to the date of notification of this Regulation will, at the discretion of TRAI, be counted as regular service for the purpose of this Regulation

16. Method of Recruitment:

i) After initial constitution of the Staff Cadre, if any vacancy arises in any of the Grades specified in sub clause (iii) of clause 14 or if new posts are created in any of the grade, it shall be filled up in the following manner:-

Name of the Post	Mode of recruitment	Qualification/Experience
Junior Accounts Officer/Assistant/ Personal Assistant	Promotion/DR/Deputation	As in Schedule II
Stenographer	DR/deputation	-do-
Lower Division Clerk	-do-	-do-
Driver	-do-	-do-
Attendant	-do-	-do-

In the interest of career progression of the employees, the Authority will from time to time, fix proportion of any grade which will be filled by promotion from the lower grade(s). Where such a proportion is fixed but it is not possible to fill a post or posts by promotion due to lack of suitable candidates, direct recruitment or deputation will be resorted to.

ii) Selection in each case under sub clause (i) of clause 16 shall be on the recommendations of the Selection Committee as specified in Schedule III.

PART X – DIRECT RECRUITMENT

17. Direct recruitment:

Selection of candidate for appointment to various posts which are to be filled up by direct recruitment shall be made as per the procedure laid down below:-

- a) The vacancies which are to be filled up shall be advertised at least in two leading national dailies.
- b) Applications which are not received by the last date mentioned in the advertisement or which are from candidates who do not satisfy the conditions laid down will not be entertained.

- c) From the remaining applications, the Appointing Authority will short-list the candidates who are to be called for an interview, provided that the Appointing Authority may choose to call all candidates for interview.
- d) Final selection of the candidate(s) will be made by the Appointing Authority on the basis of combined evaluation of the candidate's performance in the interview and his/her qualifications/job experience. The Authority may at its discretion, in cases where it considers it desirable also stipulate whether examination of the candidate is a part of the selection process.
- e) The Appointing Authority, in its discretion, may maintain a panel of names of suitable candidates who may be offered employment against future vacancies in the concerned posts. Any such panel of names, if prepared and maintained, shall remain valid for a period not exceeding twelve months from the date of its approval.

Provided that the Authority, where it considers fit, can entrust the job of selection of suitable candidates to any agency engaged in such activity.

18. Orders on reservation of posts for SC/ST/OBC and other categories which may be applicable currently will apply to these posts.

19. Qualifications and age limit:

Minimum qualifications and age limit for appointment to cadre by direct recruitment shall be as specified in the Schedule Π .

20. Medical Examination:

No candidate who, after such medical examination as the Authority may prescribe, is not found to be in good mental or bodily health and free from any mental or physical defect likely to interfere with the discharge of the duties of the service shall be appointed to the Post. The fact that a candidate has been physically examined will not mean or imply that he/she shall be considered for appointment.

Part XI - APPOINTMENT BY PROMOTION

21. Appointment by promotion to different grades will be made from the lower grades as specified in the Schedule-II

22. Seniority:

- (i) The relative seniority of members of the cadre appointed to any grade at the time of formation of the cadre shall be decided by the authority and will generally be governed by their relative seniority obtaining on the date of commencement of this Regulation.
- (ii) All staff included in the initial constitution of the service in any grade shall rank senior to all others appointed to that grade subsequently; unless someone is appointed to a grade giving him specially a certain seniority in that grade.
- (iii) The seniority of a staff member not covered by the above provisions shall be determined by the Appointing Authority.

PART XII - CONTRACT APPOINTMENT

23. The Authority may appoint staff on contract for a specified period at terms specified by the Authority to meet short/medium term requirement for which suitable entry qualifications/contract time frames/terms and conditions shall be specified.

PART XIII - DEPUTATION

24. The posts which are to be filled up by the method of Deputation would be widely circulated among such Ministries/Departments of the Central Government and Public Sector Undertakings which are expected to have people with the qualifications and experience matching the requirements of the TRAI and willing to join the Authority on deputation.

PART XIV - MISCELLANEOUS

25. **Probation:** A period of probation may be stipulated for candidates appointed through direct recruitment process. If any probation period is stipulated, a fresh recruit will be confirmed only after he/she has completed the period of probation and during the period his/her services and conduct have been found by the Authority to be satisfactory. In the event that the service and conduct of any employee are not found to be satisfactory, in the probation period, at the discretion of the Authority, the period may be extended to provide the employee an opportunity to improve. If the service and conduct of any employee are not found to be satisfactory at the end of the probation period/extended probation period, his/her services may be terminated.

26. Liability for service in or outside India:

An officer/staff member appointed to the cadre shall be liable to serve anywhere in India or outside India.

27. Upgradation/ Downgradation:

Considering that promotional avenues in the small cadre of TRAI may be limited, the Authority may consider grant of next higher grade to the officer/staff member while

he/she continues to hold a particular post and responsibility. Similarly at any given time an officer belonging to a higher grade in the cadre may in the exigency of service continue to hold a post and discharge responsibilities relating to a post in the immediately lower grade

28. Pay fixation: The pay of an officer/staff member in a particular grade shall be fixed by the Authority.

29. Nationality:

A candidate must be a citizen of India or he/she must belong to such categories of persons as may from time to time be notified by the Government.

- 30. Superannuation: The age of superannuation would be on attaining the age of 60 years.
- 31. Disqualification: No person
 - a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - b) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post under the Authority,

Provided that the Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Regulation.

32. Power to relax:

Where the Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this Regulation with respect to any class or category of persons.

33. Interpretation:

If any queries relating to implementation of this Regulation arise, they shall be decided by the Authority.

34. Removal of difficulties:

The Authority may from time to time issue such general or specific directions as may be necessary to remove difficulties in the operation of any of the provisions of this Regulation.

Schedule I

Officer' cadre

Name of Post	Mode of Recruit- Ment	Qualification & experience for Direct Recruit	Length of service for promotion	Qualification and experience for deputation	Age for Direct Recruit
Secretary	Promotion /deputation / DR	Degree from a recognised University or equivalent. 19 years experience including relevant experience in the field of telecommunica tions, industry, finance, accountancy, law, management, or consumer affairs.	Promotion from amongst the TRAI officers with minimum one year of regular service in a grade immediately below.	Officers of the Central/State Govt./PSUs (i) holding equivalent post on regular basis.	Not exceeding 55 years
Principal Advisor	-do-	Degree from a recognised University or equivalent. 18 years experience including relevant experience in the field of telecommunica tions, industry, finance, accountancy, law, management, or consumer affairs.	Promotion from amongst the officers with one year of regular service in a grade immediately below.	Officers of the Central/State Govt. /PSUs (i) holding equivalent post on regular basis or (ii) officers in SAG with 4 years of regular service in that grade or (iii) Group A officers having 21 years of regular service in Group A of which at least 4 years shall be in the SAG	Not exceeding 55 years
Advisor	-do-	Degree from a recognised University or equivalent. 17 years experience including relevant experience in		/PSUs (I) holding equivalent post on regular basis or (ii)	Not exceeding 50 years

			-		
Joint	-do-	the field of telecommunica tions, industry, finance, accountancy, law, management, or consumer affairs. Degree from a	Promotion	Group A officers having 17 years of regular service in Group A of which at least 4 years shall be in the Selection Grade Officers of the	Not
Advisor		recognised University or equivalent. 14 years experience including relevant experience in the field of telecommunica tions, industry, finance, accountancy, law, management, or consumer affairs.	with (i) 4 years of regular service in a grade immediately	Govt./PSUs	exceeding 50 years
Deputy Advisor	-do-	Degree from a recognised University or equivalent. 10 years experience including relevant experience in the field of telecommunica tions, industry, finance, accountancy, law, management, or consumer affairs.		Officers of the Central/State Govt. /PSUs (i) holding equivalent post on regular basis or (ii) officers in Senior Time Scale with 4 years of regular service in that grade or (iii) the Group A officer with 8 years of regular service in Group A of which at least 4 years shall be in the Senior Time Scale.	Not exceeding 45 years
Senior Principal Private Secretary	-do-	Degree from a recognised University or equivalent. Experience of 10 years as	with 5 years of	/PSUs (i) holding equivalent post on regular basis or (ii)	Not exceeding 45 years

Senior level management. Senior literacy essential. Degree from a recognised University or equivalent. Senior equivalent. Senior experience in the grade of including Senior literacy essential. Senior liter	_
Computer literacy essential. The officer must posses the working knowledge of computer Senior -do- Degree from a recognised from amongst University or equivalent. 8 with 4 years of years experience in the grade of including Technical The officer must posses the working knowledge of computer Officers of the Not exceed Govt./PSUs (I) 40 years or regular service post on regular basis or (ii) Officers in Junior Time scale	_
literacy essential. Degree from a Promotion Computer Degree from a promotion from amongst University or equivalent. 8 years experience in cluding rechnical posses the working knowledge of computer Officer Degree from a Promotion from amongst Central/State exceed 40 years from amongst the officers Govt./PSUs (I) holding equivalent post on regular basis or (ii) Officers in Junior Time scale	_
Senior -do- Degree from a Promotion Central/State exceed University or equivalent. 8 with 4 years of years experience in the grade of including Technical knowledge of computer Knowledge of computer	
Senior	
Senior Research Officer Officer Degree from a Promotion from amongst Central/State exceed the officers of the University or equivalent. 8 with 4 years of years experience in the grade of including Technical Degree from a Promotion from amongst Central/State exceed 40 years of holding equivalent post on regular basis or (ii) Officers in Junior Time scale	
Research Officer recognised University or equivalent. 8 years experience including recognised University or equivalent. 8 with 4 years of regular service in the grade of including recognised University or the officers with 4 years of holding equivalent post on regular basis or (ii) Officers in Junior Time scale	_
Officer University or equivalent. 8 with 4 years of years experience in the grade of including	_
equivalent. 8 with 4 years of years regular service in the grade of including Technical remains a position or (ii) Officers in Junior Time scale	rs
years regular service post on regular basis experience in the grade of including Technical Junior Time scale	
experience in the grade of or (ii) Officers in Including Technical Junior Time scale	
including Technical Junior Time scale	
relevant Officer or 7 with 4 years of	
experience in years of regular service in that	
the field of combined grade or 7 years of	1
telecommunica regular service regular service in the	1
tions, industry, in the grades of Section	
finance, Tech. officer or equivalent	1
accountancy, Officer/Section or 7 years of	
law, officer or combined service in	
management, equivalent the Junior Time	ł
or consumer posts having Scale/Section	
affairs. working Officer's grade. The	
knowledge of officer must possess	
computer. the working	
knowledge of	
computer.	
Principal -do- Degree from 3 Promotion Officers Of Not	
Private recognised from amongst Central/State exceed	
Secretary University or the officers Govt./PSUs (i) 40 year	rs
equivalent with 7 years of holding equivalent	
Experience of regular service post or (ii) with 7	
8 years as in a grade years of regular	
Secretary to immediately service in the grade senior level below. The of Private Secretary	ł
	1
management. working in the pay scale of Rs.	
Computer knowledge of 6500-10500 or literacy computer is equivalent. The	
	į
	1
Technical Promotion/ Degree from a Promotion Officers of Not	
Technical Promotion/ Degree from a Promotion Officers of Not Officer DR/Deputa recognised from amongst Central/State Govt./ exceed	lina
tion University / the officer with PSUs (i) holding 30 year	_
	19
	j
experience. in a grade regular service in a However, immediately grade of Section	
Trowever, Immediately grade of Section	ļ

				<u></u>	
		the post to be filled, specific degree in Electronic and/or Telecommunic ations Engineering, Commerce, Economics,	working knowledge of computer	The officer must possess the working knowledge of computer.	
		Accountancy, Law, or Management etc. may be prescribed based on the need.			
Section Officer/ Assistant Account Officer/ Librarian	Promotion/ DR/ Deputation	Degree from a recognised University / Institutions, with 2 years of relevant experience. For librarian, Degree should be in Library Science, with 2 years relevant experience.	in a grade immediately below with working knowledge of computer.	Govt./PSUs (i) holding equivalent post or (ii) with 6 years of regular service in Grade immediately below. The officer must possess the working knowledge of computer.	Not exceeding 30 years.
Private Secretary	-do-	Degree from a recognised University, and 5 years experience in Secretarial position. Computer literacy is essential.	Promotion from amongst the officials with 6 years of regular service in a grade immediately below with working knowledge of computer.	post or (ii) with 6 years of regular service in a Grade immediately below. The officer must	Not exceeding 30 years

Note: For the post of Advisors dealing with Networks i.e. Fixed, Mobile and Converged, a Degree in Electronic and/or Telecommunications Engineering would be an essential qualification.

Schedule-II

Staff Cadre

Post	Mode of Recruit- Ment	& experience for Direct Recruit	Length of service for promotion	Qualification and experience for deputation	Age for Direct Recruit
Junior Account Officer / Assistant	Promoti on/DR/ deputati on	A Graduate Degree from a recognised University/Inst itution.	Promotion from amongst the officials with ten years of regular service in the LDC grade with working knowledge of computer.	Officials of Central/State Govt./PSUs (I) holding equivalent post or (ii)six years of regular service in the pay scale of Rs. 4000-6000 or, (iii) ten years of service in the pay scale of Rs. 3050-4590 with working knowledge of computer.	Not exceeding 28 years
Personal Assistant	Promoti on/DR/ Deputati on	(i) 12 th Standard Pass from a recognised Board/Instituti on (ii) a Speed of 120 W.P.M. for Stenography (English or Hindi) and 30 w.p.m. in typing, Possessing working Knowledge of computer	Promotion from amongst the officials with six years of regular service in a grade immediately below having working knowledge of computer.	Officials of Central/State Govt./PSUs (i) holding equivalent post or (ii) with six years of regular service in a grade immediately below. Having working knowledge of computer.	Not exceeding 28 years
Stenogra pher	DR / Deputati on	(i)Matric or equivalent from a recognised Board/Instituti on and (ii) a speed of 80 p.m in Stenography (English/Hindi) and typing speed of 30	N.A.	Officials of Central /State Govt./PSUs holding equivalent post or (I) Lower Division Clerk with a speed of 80 w.p.m. in Stenography (English/Hindi) and typing speed of 30 W.P.M. and possessing working knowledge of	Not exceeding 27 years

	7				
		W.P.M.,	,	computer	
		possessing			
	ļ	working			
	Į	knowledge of			
		computer			
Lower	DR/Dep	(i) Matric or	N.A.	Officials of	Not
Division	utation	equivalent		Central/State	exceeding
Clerk		from a		Govt./PSUs (i)	27 years
]	Ì	recognised		holding equivalent	
1		Board/Instituti	•	post with typing	
}		on and (ii) a		speed of 30 w p.m. in	
		typing speed of		English/Hindi and	
}	}	30 w.p.m. in		having working	ì
}	Ì	English/Hindi		knowledge of	
		aı (iii)		computer.	
		possessing	1	,	
		working			
		knowledge of			
1		computer.			
Driver	Promo-	(i) 8th Pass	Attendant	Officials of	Not
	tion /	(ii) possessing	who possesses	Central/State	exceeding
	DR /	a valid driving	the following-	Govt./PSUs holding	40 years
	Deputa-	licence for	(i) Pass in 8 th	equivalent post or	10) 0418
	tion	motor cars	Standard (ii)	Attendant/Group D	
	tion	(iii) knowledge	possessing a	employee who	
		of motor	valid driving	possesses the	
		mechanism	licence for	following- (i) Pass in	
1		(should be able	motor cars	8 th Standard (ii)	
}		to remove	(iii)	possessing a valid	ſ
		minor defects	knowledge of		}
		in vehicles)	motor	motor cars (iii)	
		(iv) experience		knowledge of motor	
1		of driving of	(should be	mechanism (should be	
1		motor cars for	able to	able to remove minor	
		3 years	remove minor	defects in vehicles)	
1		5 years	defects in) '	
}			vehicles) (iv)		}
,			, , ,	_	,
			experience of driving of	IOI 3 years.	
i			motor cars for		
1		<u> </u>			
Attendant	DR/	Eight	3 years N.A.	Officials of	Not
Witchnami	deputati	Standard pass.	14.73.	Central/State	1
	1 -	Should be able			exceeding
}	on				40 years
}				equivalent post	l
L	L	write English.			<u>-</u>

Schedule III

SI. No.	Name of the post	Composition of the Selection (Committee.
1.	Secretary	Chairperson, TRAI Members, TRAI	Chairman Member
2.	Principal Advisor/ Advisor	Chairperson, TRAI Members, TRAI	Chairman Member
3.	Joint Advisor	Member, TRAI Secretary Advisor of concerned	Chairman Member
4.	Deputy Advisor & Equivalent	Division Secretary Advisor(A&L) Advisor of Concerned Division	Member Chairman Member Member
5.	Senior Research Officer & equivalent	-do-	-do-
7.	Section Officer & equivalent	Advisor (A&L) Jt./Dy. Advisor(A&L) Jt./Dy. Advisor(F&A)	Chairman Member Member
8.	Assistant. & equivalent	Advisor(A&L) Jt./Dy. Advisor(A&L) Sr. Research Officer(A&L))	Chairman Member Member
9.	Stenographer & Lower Division Clerk	Jt/Dy. Advisor(A&L) Sr. R. O. (A&L) Sr. R. O. (GA)	Chairman Member Member
10.	Attendant	Section Officer(A&L) Section Officer(GA-I) Section Officer(GA-II) Y K GAIHA, Ad [ADVT-III/IV/I	